परिशिष्ट–1

[8/3/2021]

विधान सभा अतांरांकित प्रश्न कमांक 2275 द्वारा श्री धरमसिंग सिरसाम के प्रश्नांश "ख" से संलग्न परिशिष्ठ–1

प्रश्न सं. [क्र. 2275]

	जिला यूनियन को प्रदाय की गई राशि		शेष राशि	
संग्रहण वर्ष	ग्रामीण विकास मद की राशि	वन विकास मद की राशि	ग्रामीण विकास मद की राशि	वन विकास मद की राशि
1998	142027797	0	0	100794690
1999	155677637	9745000	0	163832960
2000	45048355	25434000	0	858510
2002		50306000		-20588360
2003	5802856	43943000	0	-24108710
2004	20045564	38957000	0	-3556130
2005	30125387	46049000	4726095	-6344780
2006	54689903	55068000	8227691	27173280
2007	214048946	42800000	45707293	312946420
2008	81239933	10239000	6553185	105957774
2009	112367961	17107000	28411269	169218449
2010	133570624	30907000	53597999	216816182
2011	93003386	37867573	50125910	151568229
2012	112911369	15176000	176727019	481925429
2013	38438530	40263000	96516019	158199571
2014	29577932	99288483	54622633	24535879
2015	41188396	74824360	62731293	77276002
2016	60277732	15893608	216305503	428836606
2017	74288700	360515644	827650847	811359335
2018	4871380	157856272	263151188	129226790
2019	48390587	154506705	0	0
2020	25833314	67652688	0	0
योग	1523426289	1394399333	1895053944	3305928126

नोटः– 1. संग्रहण वर्ष 2001 मे शुद्व आय की राशि प्राप्त न होने से किसी भी जिला यूनियन को ग्रामीण विकास एवं वन विकास मद मे राशि का आंवटन नही किया गया है ।
2. संग्रहण वर्ष 2019 एवं 2020 के बोनस की गणना नही की गई है

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग (कक्ष 3)
मंत्रालय, भोपाल

अपर प्रबंध संचालक (विकास)
म.प्र.राज्य लघु वनोपज संघ

परिशिष्ट-2

(15)

क्रमांक-एफ-26-01/2007/10-3 भोपाल, दिनांक 10 फरवरी, 2012

प्रति,

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक
   म0प्र0 भोपाल
2. प्रबंध संचालक,
   म0प्र0 राज्य लघु वनोपज संघ,
   भोपाल

विषयः—लघु वनोपजो के व्यापार से प्राप्त आय का वितरण।

राज्य शासन द्वारा पूर्व प्रसारित निर्देश क्रमांक--303/3139/10-3/2005 दिनांक 31.01.2006 में आंशिक संशोधन करते हुए निर्णय लिया गया है कि राष्ट्रीयकृत लघु वनोपजो के व्यापार से अर्जित शुद्ध लाभ की राशि का वितरण निम्नानुसार किया जाए:—

1. सत्तर (70) प्रतिशत भाग संग्राहकों को उनके द्वारा संग्रहित मात्रा के अनुपात में प्रोत्साहन पारिश्रमिक के रूप में वितरित करने हेतु प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों को अंतरित किया जाए।
2. पन्द्रह (15) प्रतिशत भाग वन विभाग की देखरेख में स्थल विशिष्ट की आवश्यकतानुसार वनों के पुनरूत्पादन, लघु वनोपज प्रजातियों के अंतः एवं वाह्य स्थलीय संरक्षण, अनुसंधान एवं विकास संग्राहकों की क्षमता विकास हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन, प्रसंस्करण व भण्डारण सुविधाओं के विकास जैसी गतिविधियों पर व्यय किया जाये।
3. शेष 15 (पन्द्रह) प्रतिशत राशि ग्रामों की अधोसंरचना तथा मूलभूत सुविधाओं के विकास एवं संग्राहकों के लिए लघु वनोपज संघ द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु लघु वनोपज संघ के निर्देशानुसार व्यय की जाए।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(वी.एन. पाण्डेय)
सचिव,
म0प्र0 शासन, वन विभाग

पृ0क्र0—एफ—26—01/2007/10—3 भोपाल, दिनांक फरवरी, 2012

प्रतिलिपिः—

1. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
4. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
5. समस्त अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश।
6. समस्त वनमण्डलाधिकारी, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव,
म0प्र0 शासन, वन विभाग

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग (कक्ष 3)
मंत्रालय, भोपाल

म. प्र. राज्य लघु वनोपज व्या. एवं वि. सह. संघ मर्या. भोपाल
आवक क्र. 215
दिनांक 14/02/12